संख्या- 25 /2017 / 348 / चार-2017-34 (बजट)/2014

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 10 मार्च , 2017

विषय:- जनपद लखनऊ के लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी के वीथिकाओं के निर्माण आदि कार्यो हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 3042/सं0नि0-6(94)/2015-16 दिनांक 02 मार्च, 2017 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ के लाल बारादरी भवन में स्थित राज्य ललित कला अकादमी के वीथिकाओं के निर्माण आदि कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा धनराशि रू0 2372.00 लाख आगणन का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत रू0 2227.19 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 160/2016/354/चार-2016-34(बजट)/2014 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 द्वारा धनराशि रू0 138.83 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी। , तद्नुक्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि रू0 132.84 लाख (रूपये एक करोड बत्तीस लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिसमें जमा नहीं की जायेगी।

3- शासनादेश संख्या- 160/2016/354/चार-2016-34(बजट)/2014 दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध आदि यथावत रहेंगे।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92-के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-101-ललित कला शिक्षा- 06-उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ को अनुदान-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 25 / 2017 / 384 (1)/चार-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, ग्लोबल सेल, आवास विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, लखनऊ ।

3 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

6 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।